

शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (इससे आगे इसे आयोग कहा जाएगा) की स्थापना वर्ष 2003 के केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकारी विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में, सरकारी कंपनी, समिति तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी भी स्थानीय निकाय के सतर्कता मामलों तथा भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए की गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभिकथित रूप से किए गए अपराधों के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यों की निगरानी करने का कार्य भी आयोग को सौंपा गया है। यह भारत सरकार के "लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण" संकल्प के अंतर्गत, भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों वाली लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए मनोनीत अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

2. आयोग का प्रधान उद्देश्य, पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित विभिन्न विभागों तथा संगठनों/संस्थानों को, आयोग की अधिकारिता में आने वाले विशिष्ट स्तर के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता संबंधी मुद्दों पर कदाचार के अनुरूप दंड की प्रकृति आदि के संबंध में सलाह देना है।

3. जनता, विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से प्राप्त शिकायतें सामान्यतः उपर्युक्त संगठनों में सतर्कता संबंधी मुद्दों की पहचान के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

अतः, आयोग को की गई शिकायतें दोषी लोक सेवक (सेवकों) के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई में परिणत होती है। ऐसे मामलों में सतर्कता कार्रवाई से शिकायतकर्ता को मिलने वाली राहत केवल अतिरिक्त होती है। सरकारी संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विरुद्ध की गई शिकायतों का समाधान, आयोग को की गई शिकायतों का केन्द्र बिन्दु नहीं होना चाहिए।

"निविदाओं के विरुद्ध शिकायतों के बारे में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग, संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से मामले का अन्वेषण करवाएगा परन्तु यह निविदा प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका उद्देश्य यह है कि संगठन में कार्य को ना रोका जाए तथा, इसलिए, निविदा की प्रक्रिया जारी रहेगी। तथापि, मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, आयोग मामले में उचित कार्रवाई करेगा।"

4. आयोग ने अपनी शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति के लिए बी.आई.एस. मानक अपनाया है। बी.आई.एस. मैनुअल में निर्दिष्ट अनुसार आयोग की शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति का उद्देश्य प्रत्येक शिकायत का समय पर तथा संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। इन मानकों के अनुसार, आयोग में शिकायत संचालन प्रक्रिया का, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित एक अंकेक्षक द्वारा वर्ष में एक बार अंकेक्षण किया जाएगा। मानकों में यह प्रावधान भी है कि अंकेक्षक द्वारा दिए गए प्रेक्षणों पर आवश्यक शोधक कार्रवाई किए जाने के लिए प्रबंध समीक्षा समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

5. केवल ऐसे संगठनों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में आते हैं, अर्थात:-

- केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग
- केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
- राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां
- पत्तन न्यास आदि जैसे स्वायत्त संगठन
- दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, पाण्डिचेरी आदि सहित केन्द्रीय शासित प्रदेश

अशासकीय व्यक्तियों तथा राज्य सरकारों पर आयोग की अधिकारिता नहीं है । अतः, कृपया इन संगठनों के अधिकारियों के विरुद्ध आयोग को शिकायत न भेजी जाए ।

6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अनुसार, आयोग उपर निर्दिष्ट संगठनों में तैनात लोक सेवकों की केवल कुछ श्रेणियों के विरुद्ध जांच कर सकता है अथवा जांच करवा सकता है । वर्तमान में, मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों पर आयोग की अधिकारिता निम्न प्रकार है:-

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग | - | समूह "क" अधिकारी और इससे उपर |
| 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | - | बोर्ड स्तर से दो स्तर नीचे तथा इससे उपर |
| 3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | - | वेतनमान V और इससे उपर के अधिकारी |
| 4. बीमा क्षेत्र | - | सहायक प्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी |
| 5. स्वायत्त निकाय | - | रु0 8700/- तथा अधिक मूल वेतन पाने वाले अधिकारी |
| 6. पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड | - | रु0 10,750/- तथा अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी (रु0 3750/- तथा अधिक संशोधन-पूर्व) |

7. शिकायतकर्ता यह नोट कर लें कि:-

- आयोग अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है ।
- शिकायतकर्ता जब भी मान्य कारणों से यह अनुरोध करता है कि शिकायत पर कार्रवाई करते समय उसकी पहचान गुप्त रखी जाए तो आयोग द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाएगा ।
- शिकायतें संक्षिप्त होनी चाहिए तथा इनमें वास्तविक विवरण, सत्यापनीय तथ्य तथा सम्बद्ध मामले होने चाहिए । ये अस्पष्ट अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण सामान्य आरोपों वाली नहीं होनी चाहिए ।
- शिकायतें आयोग को सीधे सम्बोधित होनी चाहिए । बहुत से अधिकारियों को भेजी गई शिकायतों पर सामान्यतः आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है ।

- केवल ऐसी शिकायतों पर, जो आयोग की अधिकारिता में आने वाले अधिकारियों तथा संगठनों के विरुद्ध की गई है तथा जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप है, आयोग द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा सम्बन्धित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से अन्वेषण करवाया जाएगा । केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा (8) की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत आयोग अपने स्वयं के अधिकारी के माध्यम से भी किसी शिकायत की जांच करवा सकता है ।
- अन्य शिकायतों को या तो फाइल कर दिया जाएगा अथवा इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेज दिया जाएगा ।
- आयोग में प्राप्त तथा कार्रवाई की जा रही सभी शिकायतों की आयोग पावती देगा । तथापि, शिकायतकर्ता को एक शिकायत संख्या केवल तभी दी जाएगी जब शिकायत का अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया हो । अन्वेषण करने के लिए भेजी गई ऐसी शिकायतों की स्थिति आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर "शिकायत की स्थिति" शीर्षक के अंतर्गत देखी जा सकती है ।
- आयोग इस मामले में आगे किसी पत्राचार पर कार्रवाई नहीं करेगा लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का अन्वेषण हो रहा है तथा इनके तर्कपूर्ण निष्पादन के लिए कार्रवाई की गई है ।
- आयोग द्वारा / के निर्देश अधीन अन्वेषण की जा रही शिकायतों की संगठन-वार सूची आयोग के मासिक बुलेटिन में दर्शाई जाएगी ।
- आयोग पृथक रूप से "लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण विनियम" के अंतर्गत भी शिकायतें प्राप्त करता है ।

शिकायत दर्ज करें

www.cvc.gov.in/lodgecomp.htm

शिकायतों पर कार्रवाई किए जाने के विषय में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1 हम केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत किस प्रकार दे सकते हैं ?

उ. भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के विशिष्ट तथ्य देते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सीधे पत्र लिखकर शिकायतें दी जा सकती हैं । केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर भी शिकायतें सीधे दर्ज की जा सकती हैं । तथापि, शिकायत देने से पहले कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि संगठन तथा अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में आते हैं । "लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण" संकल्प के अंतर्गत भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं ।

प्र. 2 क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग किसी के भी विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करता है ?

उ. नहीं । आयोग केवल अधिकारियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करता है जो आयोग की अधिकारिता में आने वाले संगठनों में तैनात होते हैं ।

प्र. 3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या है ?

उ. केवल ऐसे संगठनों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में आते हैं, अर्थात:-

- केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग
- केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
- राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां
- पत्तन न्यास आदि जैसे स्वायत्त संगठन
- दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, पाण्डिचेरी आदि सहित केन्द्रीय शासित प्रदेश

अशासकीय व्यक्तियों तथा राज्य सरकारों पर आयोग की अधिकारिता नहीं है । अतः, कृपया इन संगठनों के अधिकारियों के विरुद्ध आयोग को शिकायत न भेजी जाए ।

प्र. 4 क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों पर आयोग की अधिकारिता है ?

उ. नहीं ।

प्र. 5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग किन स्तरों के लोक सेवकों के विरुद्ध जांच कर सकता है ?

उ. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अनुसार, आयोग उपर निर्दिष्ट संगठनों में तैनात लोक सेवकों की केवल कुछ श्रेणियों के विरुद्ध जांच कर सकता है अथवा जांच करवा सकता है । वर्तमान में, मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों पर आयोग की अधिकारिता निम्न प्रकार है:-

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1. | केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग | - | समूह "क" अधिकारी और इससे उपर |
| 2. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | - | बोर्ड स्तर से दो स्तर नीचे तथा इससे उपर |
| 3. | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | - | वेतनमान V और इससे उपर के अधिकारी |
| 4. | बीमा क्षेत्र | - | सहायक प्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी |
| 5. | स्वायत्त निकाय | - | रू0 8700/- तथा अधिक मूल वेतन पाने वाले अधिकारी |
| 6. | पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड | - | रू0 10,750/- तथा अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी (रू0 3750/- तथा अधिक संशोधन-पूर्व) |

प्र. 6 क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई करता है ?

उ. नहीं ।

प्र. 7 क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग शिकायतकर्ताओं की पहचान गुप्त रखता है ?

उ. सभी शिकायतकर्ता, जो ऐसा चाहते हैं, उनकी पहचान अथवा जो "लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण" संकल्प के अंतर्गत शिकायतें देते हैं, उनकी पहचान आयोग द्वारा गुप्त रखी जाती है । तथापि, यह देखा गया है कि शिकायतकर्ताओं की प्रवृत्ति अपनी शिकायतों की प्रतियां विभिन्न संगठनों जैसे प्रधानमंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि को भेजने की होती है । ऐसे मामलों में, आयोग के लिए संभव नहीं है कि यह पहचान गुप्त रखने की जिम्मेवारी स्वीकार करे ।

प्र. 8 "लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण" संकल्प के अंतर्गत शिकायत किस प्रकार दी जाती है ?

उ. "लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण" संकल्प के अंतर्गत शिकायतें केवल डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं । लिफाफे पर मोटे शब्दों में "पी.आई.डी.पी.आई" अथवा "पर्दाफाश" लिखा होना चाहिए । शिकायतकर्ता को पत्र में अपना नाम नहीं लिखना चाहिए । व्यक्तिगत विवरण पृथक रूप से दिए जाएं अथवा सबसे ऊपर या सबसे अंत में दिए जाएं ताकि इन्हें आसानी से छिपाया जा सके ।

प्र. 9 यदि किसी व्यक्ति का इस कारण उत्पीड़न किया जाता है कि उसने शिकायत की है तो क्या उसका कोई सहारा है ?

उ. यदि कोई व्यक्ति किसी कार्रवाई से इस आधार पर व्यथित होता है कि उसे इस तथ्य के आधार पर पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत दायर की है अथवा प्रकटीकरण किया है तो वह इस मामले में निवारण की मांग करते हुए आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता

है, जहां आयोग मामले में जांच करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को उपयुक्त निदेश दे सकता है ।

प्र. 10 यदि कोई व्यक्ति अभिप्रेरित अथवा कष्टप्रद स्वरूप की शिकायत करता है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है क्या उसका कोई सहारा है ?

उ. यदि आयोग शिकायत को अभिप्रेरित अथवा कष्टप्रद स्वरूप की पाता है तो आयोग उपयुक्त कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है ।

प्र. 11 क्या कोई ऐसी जांच है जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग नहीं करता है ?

उ. आयोग ऐसे किसी प्रकटीकरण को स्वीकार अथवा जांच नहीं करेगा जिसके संबंध में लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के अंतर्गत एक औपचारिक तथा लोक जांच का आदेश दिया गया है अथवा ऐसा मामला जिसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जांच के लिए भेजा गया है ।

प्र. 12 क्या आयोग शिकायतों की पावती देता है ?

उ. आयोग प्रत्येक शिकायत की पावती देना चाहेगा परन्तु अत्यधिक कार्यभार के कारण तथा अमूल्य स्रोतों को बचाने के लिए आयोग केवल उन्हीं शिकायतों की पावती देता है जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित संगठनों को भेजा जा सकता है अथवा जिन्हें आयोग जांच तथा रिपोर्ट के लिए हाथ में लेता है । जिन शिकायतों को फाइल कर दिया जाता है उनकी पावती नहीं दी जाती ।

प्र. 13 क्या शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति जान सकते हैं ?

उ. अन्वेषण तथा रिपोर्ट के लिए भेजी गई शिकायतों के लिए आयोग शिकायतकर्ता को एक नंबर देता है जिसके द्वारा वह वेबसाइट पर अपनी शिकायत की स्थिति देख सकता/सकती है । तथापि, वेबसाइट पर स्थिति देखते समय शिकायतकर्ता को निम्न समय सीमा ध्यान में रखनी चाहिए:-

"आयोग द्वारा अन्वेषण के लिए भेजी गई शिकायतों पर रिपोर्ट सामान्यतः 3 माह की अवधि के भीतर आयोग को मिलने की आशा होती है । संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा परवर्ती अनुशासनिक कार्रवाई में लगभग 6 माह का समय लगता है । शास्ति लगाने में ओर तीन से 6 माह का समय लगता है । आयोग इस मामले में आगे पत्राचार पर कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का अन्वेषण हो रहा है तथा इसके तार्किक समापन की कार्रवाई की गई है ।"

आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों का शिकायतकर्ताओं द्वारा संबंधित संगठनों के साथ अनुवर्तन किया जा सकता है । आयोग ऐसी शिकायतों पर आगे कार्रवाई नहीं करता है ।

प्र. 14 क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायतें देने से शिकायतकर्ता को राहत मिलती है ?

उ. आयोग को की गई शिकायतें दोषी लोक सेवक (सेवकों) के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई में परिणत होती है । ऐसे मामलों में सतर्कता कार्रवाई से शिकायतकर्ता को मिलने वाली राहत केवल अतिरिक्त होती है । सरकारी संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विरुद्ध की गई शिकायतों का समाधान, आयोग को की गई शिकायतों का केन्द्र बिन्दु नहीं होना चाहिए ।

प्र. 15 क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत करने पर निविदाओं को रोका जा सकता है ?

उ. निविदाओं के विरुद्ध शिकायतों के बारे में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग, संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से मामले का अन्वेषण करवाएगा परन्तु यह निविदा प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा । इसका उद्देश्य यह है कि संगठन में कार्य को ना रोका जाए तथा, इसलिए, निविदा की प्रक्रिया जारी रहेगी । तथापि, मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, आयोग मामले में उचित कार्रवाई करेगा यदि लोक सेवकों की ओर से कोई गंभीर त्रुटि की गई है ।

प्र. 16 आयोग शिकायतों के बारे में अपनी वेबसाइट पर क्या सूचना उपलब्ध कराता है ?

उ. आयोग अपने मासिक प्रैस नोट द्वारा अपने यहां प्राप्त शिकायतों की संख्या देता है तथा उन शिकायतों की संख्या देता है जिनपर कार्रवाई की गई है । यह संगठनवार उन शिकायतों की सूची भी देता है जिनपर आयोग द्वारा / के निदेश अधीन अन्वेषण किया जा रहा है ।

प्र. 17 क्या आयोग समस्याओं पर कार्रवाई करता है ?

उ. केन्द्रीय सतर्कता आयोग समस्याओं की प्रकृति वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है-

- बैंकिंग तथा बीमा से संबंधित समस्याएं संबंधित आम्बड्समैन (Ombudsman) को भेजी जानी चाहिए । तथापि भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित समस्याएं उनके समस्या प्रकोष्ठ को निम्न लिंक पर भेजी जाएं:

वेबसाइट : <http://licindia.com/grievances.htm>

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित समस्याओं को उनके समस्या प्रकोष्ठ को निम्न लिंक पर भेजा जाए:

वेबसाइट : <http://delhigovt.nic.in>

- यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को राष्ट्रीय महिला आयोग को निम्न पते पर भेजा जाए:

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002

दूरभाष: 91-11-23237166
91-11-23236988
फैक्स: 91-11-23236154
शिकायत प्रकोष्ठ: 91-11-23219750
ईमेल: ncw@nic.in
वेबसाइट : <http://ncw.nic.in>

- निजी व्यक्तियों द्वारा की गई जालसाजी अथवा अन्य जालसाजी की शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए गंभीर जालसाजी कार्यालय को निम्न पते पर भेजा जाए:

गंभीर जालसाजी अन्वेषण कार्यालय
पर्यावरण भवन, दूसरा तल
सी.जी.ओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003
दूरभाष: 91-11-24369244, 24369245, 24369246
ईमेल: sfio@nic.in
वेबसाइट : <http://sfio.nic.in>

- काला धन/कर चोरी से संबंधित शिकायतों को महानिदेशक, राजस्व आसूचना को निम्न पते पर भेजा जाए:

राजस्व आसूचना निदेशालय
आई.पी. भवन, डी-ब्लॉक,
सातवां तल, आई.पी. इस्टेट,
नई दिल्ली - 110002
वेबसाइट: <http://dri.nic.in>

- विदेशी मुद्रा में की गई अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्रवर्तन निदेशालय को निम्न पते पर भेजी जाएं:

निदेशक,
प्रवर्तन निदेशालय,
छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली - 110003
वेबसाइट: <http://finmin.nic.in>

प्र. 18 क्या शिकायतकर्ता केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट के माध्यम से कुछ अन्य महत्वपूर्ण संबद्ध वेबसाइट तक पहुँच सकता है ?

उ. हां, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट में निम्न वेबसाइट के लिंक हैं:

- (i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- (ii) भारत सरकार निर्देशिका
- (iii) लोक सभा
- (iv) राज्य सभा
- (v) ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया
- (vi) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मुख्य सतर्कता अधिकारियों की सूची

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता परामर्शी परिषद के पुनर्गठन के संबंध में ।

आयोग को इसके वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में समय-समय पर सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु आयोग ने वर्ष 2004 में एक सतर्कता सलाहकार परिषद का गठन किया है जिसमें सदस्यों के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लिया गया है । आयोग ने परिषद का पुनर्गठन किया है तथा सतर्कता सलाहकार परिषद के सदस्य निम्नलिखित हैं:

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. श्री जुलियो एफ. रिबेरो, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) | - | सदस्य |
| 2. श्री एन.आर. नारायणमूर्ति, मुख्य मॅटर, इन्फोसिस | - | सदस्य |
| 3. श्री पी. शंकर, भूतपूर्व-केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त | - | सदस्य |
| 4. एडमिरल आर.एच.ताहिलियानी (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष,
टी.आई. इंडिया | - | सदस्य |
| 5. श्री पी.वी. माइया, भूतपूर्व-प्रबंध निदेशक, एस.बी.आई. | - | सदस्य |
| 6. डा0 एन.आर. माधव मेनन, भूतपूर्व सदस्य,
केन्द्र-राज्य संबंध आयोग | - | सदस्य |
| 7. डा0 जी.एस. राजगोपाल, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) | - | सदस्य |
| 8. श्रीमती मंजुला सुब्रामनियम, सतर्कता आयुक्त, गुजराज | - | सदस्य |
| 9. श्री गुरचरण दास, लेखक | - | सदस्य |
| 10. श्री शील भद्र बनर्जी, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) | - | सदस्य |
| 11. श्री आर.एस.एस.एल.एन. भास्कररुडू, भूतपूर्व अध्यक्ष, पीएसईबी- | - | सदस्य |
| 12. श्री संजय बारू, सम्पादक, बिजनेस स्टैन्डर्ड | - | सदस्य |
| 13. श्री अरविन्द केजरीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता | - | सदस्य |